

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाडमेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/8272

दिनांक - 10/09/2025

प्रार्थी  
1 मूलाराम पुत्र पेमाराम  
जाति जाट निवासी  
भांभूओ की ढाणी सांजटा  
तहसील बाडमेर ग्रामीण  
जिला बाडमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 तुलसीदेवी पत्नि गंगा जाति जाट 2  
नभी पत्नि अली खान 3 रसुल पुत्र अली  
खान 4 वली पुत्र सुलेमान खां 5 शकूर  
पुत्र अली खां जातियान मुसलमान निवासी  
भांभूओ की ढाणी सांजटा तहसील बाडमेर  
ग्रामीण जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 308/2024

दिनांक- 01/09/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा भांभूओ की ढाणी पटवार हल्का सांजटा तहसील बाडमेर  
ग्रामीण जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 1067/680 रकबा 7.1063 हैक्टेयर, भूमि के  
चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण  
को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व  
अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी  
फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक  
04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर  
शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी  
द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,  
उप खण्ड अधिकारी

दिनांक- बाडमेर  
10/09/2025

क्रमांक :- रीडर/2025/8273-8276

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

5. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
6. पटवारी सांजटा तहसील बाडमेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित  
रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
7. प्रार्थी मूलाराम पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी भांभूओ की ढाणी सांजटा तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला  
बाडमेर।
8. विप्रार्थीगण खेताराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी भांभूओ की ढाणी सांजटा तहसील बाडमेर ग्रामीण  
जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी

